ईरान को रुपए में भुगतान के लिए अमेरिका से बात करेगा भारत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 जून।

भारत व अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों की शीघ्र ही बैठक होगी जिसमें विभिन्न मुद्दों पर दोनों पक्षों की चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। विदेश, वित्त और पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों की टीम जल्द ही अमेरिका भेजी जाएगी। मुख्य मुद्दा ईरान से कच्चे तेल की खरीद का है, जिसके लिए अमेरिका से भारत रियायत की मांग करेगा। सरकार रुपए में भुगतान का विकल्प खंगाल रही है। साथ ही, ऐसा बैंकिंग चैनल तलाश रही है, जो अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे से बाहर हो। वाणिज्य व उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु के मुताबिक, भारत और अमेरिका के अधिकारी वीजा, निर्यात पर कुछ छूट जारी रखने, इस्पात व एल्युमीनियम पर शुल्क और कुछ चिकित्सा उपकरणों की कीमतों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे।

भारतीय अधिकारी ईरान से द्विपक्षीय कारोबार के लिए भुगतान की वैकल्पिक व्यवस्था पर अमेरिका से बात करेंगे। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भुगतान का यूरोपीय बैंकों का गेटवे बंद हो गया है। भारत की सरकारी तेल शोधन कंपनियां ईरानी तेल के लिए पूरा भुगतान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जर्मनी के ईआइएच बैंक के जरिए करती हैं। एसबीआइ पहले ही तेल शोधन कंपनियों से कह चुका है कि चार नवंबर से अधिकतर प्रतिबंधों के लागू होने पर वह भुगतान प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर पाएगा।

पिछले हफ्ते विदेश, वित्त और पेट्रोलियम मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों वाला एक प्रतिनिधिमंडल प्रमुख यूरोपीय देशों की राजधानियों के दौरे से लौटा। विभिन्न यूरोपीय देशों ने अपने भुगतान गेटवे का इस्तेमाल की इजाजत देने से मना कर दिया है। इसका मतलब यह होगा कि ईरानी तेल के बदले भुगतान के लिए भारतीय तेल शोधन कंपनियां जिन यूरोपियन बैंकिंग चैनलों का उपयोग करती थीं, वे बंद हो सकते हैं।

ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों का असर भारतीय तेल शोधकों पर पड़ने लगा है और ईरानी तेल के लिए ढुलाई का खर्च बढ़ रहा है। पिछली बार के प्रतिबंधों के तहत अमेरिका ने भारत को इजाजत दे दी थी कि ईरान को कुछ भुगतान रुपए में कर दिया जाए। यह छूट एक आदान-प्रदान सौदे के तहत मिली थी। वह भुगतान यूको बैंक के जरिए किया गया था, जिसका अमेरिका में कोई दफ्तर नहीं है। ईरान ने उस रकम के कुछ हिस्से का उपयोग भारत से खाने-पीने के सामान, रसायन, इंजीनियरिंग उत्पाद और दवाएं आयात करने में किया था। बाकी रकम 2016 में प्रतिबंध खत्म होने के बाद ईरान को भेजी गई थी।

बालिका गृह में यौन उत्पीड़न : नौ गिरफ्तार, एसआइटी गठित

मुजफ्फरपुर (बिहार), 15 जून (भाषा)।

नाबालिग लड़कियों के आश्रय स्थल 'बालिका गृह' में कथित यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया गया है। इस संबंध में अब तक नौ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। राज्य के समाज कल्याण विभाग ने इस संबंध में इस महीने की शुरुआत में प्राथमिकी दर्ज की थी। इस बालिका गृह को संचालित करने वाले एक गैर-सरकारी संगठन को भी काली सूची में डाल दिया गया था। दरअसल, मुंबई के संस्थान ने अपनी समाज लेखा रिपोर्ट में दावा किया था कि यहां की कई लड़कियों ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की है। मुजफ्फरपुर की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर ने बताया कि हमने अब तक नौ लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एनजीओ का संचालक बृजेश ठाकुर भी शामिल है। इन पर पोक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबद्ध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

हरियाणा के प्राथमिक स्कूल के छात्रों के लिए बैग जरूरी नहीं

चंडीगढ़, 15 जून (भाषा)।

हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार ने प्राथमिक स्कूल के छात्र-छात्राओं को स्कूली बैग के बोझ से निजात दिलाने का फैसला किया है। शर्मा ने एक बयान में कहा, 'हमने फैसला किया है कि छात्र बिना बैग के प्राथमिक स्कूल जाएंगे।' उन्होंने कहा कि एक जुलाई से हरेक प्रखंड में दो स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम का शैक्षणिक संस्थान बनाया जाएगा। शर्मा ने बताया कि प्रखंड स्तर पर 238 स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम का बनाया जाएगा। राज्य में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की संख्या 418 हो चुकी है।

हिसार से दिल्ली व चंडीगढ़ तक विमान सेवा 15 अगस्त से

चंडीगढ़, 15 जून (भाषा)।

केंद्र की क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत हिसार से चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए विमान सेवाएं 15 अगस्त से शुरू होंगी। मुख्य सचिव डीएस धेसी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में उन्हें सूचित किया गया कि पिनेकल एअरलाइंस क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत अपनी सेवाएं देगी। इस योजना को उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) के नाम से भी जाना जाता है। योजना का लक्ष्य हर नागरिक के लिए विमान सेवा उपलब्ध कराना और छोटे शहरों तक इन सेवाओं को पहुंचाना है।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारा क्लाइंट, एक ट्रस्ट, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अंतर्गत पंजीकृत, ग्राम नांगली, उमरपुर, गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित करीब 5 एकड़ का एक भूखंड सार्वजनिक निविदा प्रणाली के माध्यम से बेचने का इरादा रखता है। निविदा दस्तावेज प्राप्त करने हेतु इच्छुक पार्टियां ई-मेल आईडी offertrust@gmail.com के माध्यम से सम्पर्क कर सकती हैं। निविदा दस्तावेज रु. 500 (रु. पांच सौ मात्रा) के भुगतान पर उपलब्ध होंगे।

ध्यान रहे, निविदाएं निविदा दस्तावेज की शर्तों के अनुसार ही जमा किया जाना है। निविदाएं **29 जून, 2018 को अप. 4:00 बजे तक** या इससे पूर्व जमा किये जाने हैं, उसके बाद कोई निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा। किसी स्पष्टीकरण की स्थिति में उपरोक्त ई-मेल आईडी के माध्यम से सम्पर्क किया जा सकता है।

कृते संविद लीगल
[नमिता मैथ्यूज]
D-946/2006
फोन: 011-4100 0235

उम्रकैद को 93 साल के बुजुर्ग ने दी चुनौती

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 जून।

40 साल पुराने हत्याकांड में 93 साल के वयोवृद्ध ने उम्र कैद की सजा को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को याचिका दायर की। न्यायमूर्ति उदय यू ललित और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता के अवकाशकालीन पीठ के समक्ष इस मामले पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध करते हुए इसका उल्लेख किया गया। पीठ ने याचिकाकर्ता रोहतास से कहा कि अवकाशकालीन अगली पीठ के समक्ष 18 जून को इसका उल्लेख किया जाए। याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ यह याचिका दायर की है। याचिका दायर करने वाले वकील यदुनंदन बंसल और अमित कुमार ने कहा कि याचिकाकर्ता कई बीमारियों से ग्रस्त है और वह अपने शरीर के दाहिने अंगों को हिलाने-डुलाने में भी असमर्थ है। हाई कोर्ट ने अपने 12 फरवरी के फैसले में रोहतास और दो अन्य की अपील खारिज कर दी थी।

Uttar Pradesh MSCL
(A Government of Uttar Pradesh Undertaking

Expression of Interest
for
Selection of Common Biomedical Waste Treatment Facility-Service Provider (CBWTF-SP) for Collection, Transportation, Treatment and Disposal of Biomedical Waste in 75 Districts of Uttar Pradesh

Managing Director, Uttar Pradesh Medical Supplies Corporation Limited, Lucknow invites Expression of Interest (EOI) for Selection of Common Biomedical Waste Treatment Facility-Service Provider (CBWTF-SP) for District Level Hospitals and all CHCs in 75 districts of the state for THREE years from the date of contract and renewal for further two years annually shall be based on satisfactory performance.

The details of EOI are available on the website of etender.up.nic.in. The last date for submission of proposal through e-tendering is **29th June 2018 at 05:00PM.**

Managing Director
UPMSCL

Department of Medical Health & Family Welfare, U.P.

कार्पोरेशन बैंक
(सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक)

वैदेशिक शाखा, एम-93, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001, भारत, फोन: 011-23418720-30, ई-मेल: cb0606@corpbank.co.in वेब: www.corpbank.com

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

संदर्भ: OR/OVS/ADV/606/96/2018-19

1. ऋणधारक/कों:

मै. क्वान्टम कोडर्स लि., पता: 501-503, 508, प्लॉट नं. 1, डीडीए बिल्डिंग, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली-58

2. गारन्टर्स:

1. **श्री राजीव कोहली,** पता: पुत्र श्री हरबंस लाल, निवासी: डब्ल्यूजेड-987, रानी बाग, नई दिल्ली-110034
2. **श्री अवतार सिंह,** पुत्र श्री अजीत सिंह, निवासी: आरजेड-221बी, रघु नगर, द्वारका रोड, नई दिल्ली-110045
3. **श्रीमती दीपिका कोहली,** पता: पत्नी श्री राजीव कोहली निवासी: डब्ल्यूजेड-987, रानी बाग, नई दिल्ली-110034
4. **श्रीमती लवली कौर,** पता: पत्नी श्री अवतार सिंह, निवासी: आरजेड- 221बी, रघु नगर, द्वारका, नई दिल्ली-110045.
5. **मै. एक्सप्रेस सर्वर्स लि.,** पता: 205, 206, 207, विश्वदीप टावर, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

विषय: कार्पोरेशन बैंक, वैदेशिक शाखा, नई दिल्ली में ऋण खाता:

ऋणधारक (सं. 1) ने आगे के ब्याज के साथ रु. 94,99,220.00 (रुपए चौरानवे लाख निन्यानवे हजार दो सौ बीस, 25.5.2018 को देय के ऋणों को चुकाने में चूक की है। अतएव, उनके द्वारा प्राप्त साख सुविधाओं को 29.1.2018 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। 25.5.2018 को सरफैसी अधिनियम के अंतर्गत सूचना जारी कर बैंक ने ऋणधारक को उस पर आगे के ब्याज के साथ रु. 94,99,220.00 की बकाया राशि वापस करने का निर्देश दिया। यह सूचना पंजीकृत डाक से भेजी गई।

ऋणधारकों तथा गारन्टरों को निर्देश दिया जाता है कि सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर 25.5.2018 से भुगतान की तिथि तक आगे के ब्याज के साथ रु. 94,99,220/- की राशि का भुगतान करें जिसमें विफल होने पर बैंक यहां नीचे अनुसूची में दी गई प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध प्रतिभूति हित के प्रवर्त्तन के अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिये बाध्य होगा। अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार बैंक की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से ऋणधारक/गारन्टर प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को अंतरित नहीं कर सकेंगे।

अनुसूची

परिसम्पत्तियों जिसमें प्रतिभूति हित का निर्माण किया गया है, का विशिष्ट विवरण इस प्रकार है:

अचल सम्पत्ति अर्थात् कॉमर्सियल फ्लैट, यूनिट नं. 503/1, 5वाँ तल, डीडीए बिल्डिंग नं. 1, जनकपुरी, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, माप 24.46 वर्ग मीटर जिसमें 4.21 वर्ग मी. का कवर्ड बाल्कोनी एरिया है, का ईएमजी।

तिथि: 16.06.2018, स्थान: नई दिल्ली — **प्राधिकृत अधिकारी, कॉर्पोरेशन बैंक**

कार्यालय वसूली अधिकारी-II
ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001

आर. सी. सं. 220/2014 — **ई-नीलामी बिक्री सूचना** — **दिनांक : 01.06.2018**

बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम श्री बद्री कृष्णा मूर्ति एवं अन्य

वसूली अधिकारी-II, ऋण वसूली अधिकरण-II द्वारा दिनांक 01.06.2018 के आदेशानुसार निम्नांकित सम्पत्ति की सार्वजनिक ई-नीलामी दिनांक 20.07.2018 उल्लेखित ऋण वसूली प्रमाण पत्र में
नीलामी बिक्री वेबसाइट **www.auctiontiger.net** के माध्यम से "ऑनलाईन ई-नीलामी" होगी
ई-निलामी की तिथि और समय : दिनांक 20.07.2018, पूर्वाह्न 11.00 बजे तथा दोपहर 12.00 बजे के बीच (दोपहर 12.00 बजे के बाद 5 मिनट प्रत्येक की अवधि के विस्तार के साथ, यदि अपेक्षित है)

सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु. में)	धरोहर राशि (रु. में)
बंधक सम्पत्ति (भूमि एव भवन), प्लॉट क्षेत्रफल 1 बीघा 10 बिस्वा (10 बीघा 9 बिस्वा में से), खसरा नं. 28/5(4-0) & 28/6(6-09), गाँव समालखा के रेवेन्यू ईस्टेट में, तहसील महरौली, पुरानी दिल्ली — गुडगाँव रोड, नई दिल्ली में स्थित	₹ 4,55,00,000/- (रु. चार करोड पच्चपन लाख मात्र)	₹ 45,50,000/- (रु. पैतालीस लाख पचास हजार मात्र)

नियम व शर्तें

1. नीलामी बिक्री वेबसाइट **https://www.auctiontiger.net** के माध्यम से "ऑनलाईन ई-नीलामी" होगी।
2. इच्छुक बोलीदाताओं को धरोहर राशि **पे आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट के रुप में जो कि "Recovery Officer-II, DRT-II, Delhi खाता RC No. 220/2014"** के पक्ष में दिल्ली में देयगोग्य हो, अथवा एन ई एफ टी / आर टी जी एस द्वारा अधोलिखित खाता बैंक ऑफ बड़ौदा, बी-3, कनॉट सर्कस शाखा, **खाता संख्या 00950200000743, IFSC Code BARB0CONNAU** में जमा करें, उक्त डिमांड ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर या एन ई एफ टी/आर टी जी एस द्वारा ईएमडी भुगतान का मूल साक्ष्य, स्व-प्रमाणित पहचान साक्ष्य (वोटर आई डी कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस/पासपोर्ट) और पैन कार्ड के प्रति, पते का प्रमाण तथा पहचान प्रमाण, ई-मेल आई डी, मोबाईल नम्बर और कम्पनी के मामले में कम्पनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की कम्पनी प्रति या कम्पनी के अटार्नी/निरुपण को पुष्ट करने वाले अन्य कोई आलेख्य तथा ऐसी जमा रशीद/काउन्टर फाईल कथित तिथि तक ई-मेल या अन्यथा द्वारा कथित सेवा प्रदाता या सी एच बैंक या **वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली के कार्यालय में दिनांक 18.07.2018 को सायं 4.00 बजे से पहले जमा कराना होगा और धरोहर राशि इसके पश्चात स्वीकार नही की जायेगी।**
3. धरोहर राशि वाले लिफाफे के ऊपर आर सी नं. 220/2014 अंकित होना चाहिए और साथ में एनईएफटी/आरटीजीएस का साक्ष्य और बोलीदाता का पूर्ण पता, ई-मेल आई डी और मोबाईल न. भी अंकित होना चाहिए।
4. सम्पत्ति की बिक्री **"जैसा है जहां है आधार"** पर की जाएगी।
5. बोलीदाताओं को अपनी बोली देने और ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पहले नीलामी बिक्री हेतु नियम तथा शर्तों के लिए वेबसाइट **https://drt.auctiontiger.net** देखने **तथा/अथवा श्री एन.एम परमार, मुख्य प्रबंधक,** बैंक ऑफ बड़ौदा, **फोन नं. 011-23448841 से सम्पर्क करने की सलाह दी जाती है।**
6. इच्छुक बोलीदाताओं को हमारे ई-नीलामी सर्विस प्रोवाईडर के पास पहले पंजीकृत कराना होगा और ई-नीलामी में भाग लेने के लिए यूजर आई डी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा और यह धरोहर राशि जमा करने के पश्चात प्राप्त किया जा सकता है और **मैसर्स ई-प्रक्योरमेन्ट टैक्नोलॉजीज लि.** ए-201/208, वॉल स्ट्रीट-II, विपरीत ओरियन्ट क्लब, ऐलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006, गुजरात (इंडिया), **फोन नं. +91 079-40230808-818/821/824/831/832. 079-402830831-833 सम्पर्क हेतु: श्री** कुशल कोठारी, मो. 08980690773, ईमेल **kushal@auctiontiger.net** और श्री रिकीन, मो नं. **09978591888**, ईमेल: **rikin@auctiontiger.net के साथ सम्पर्क करने की सलाह दी जाती है।**
7. इच्छुक बोलीदाताओं को ई-नीलामी सर्विस प्रोवाईडर **मैसर्स ई-प्रक्योरमेन्ट टैक्नोलॉजीज लि.** ए-201/208, वॉल स्ट्रीट-II, विपरीत ओरियन्ट क्लब, ऐलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006, गुजरात (इंडिया), **फोन नं. +91 079-40230808-818/821/824/831/832. 079-402830831-833 सम्पर्क हेतु: श्री** कुशल कोठारी, मो. 08980690773, ईमेल **kushal@auctiontiger.net** और श्री रिकीन, मो नं. **09978591888**, ईमेल: **rikin@auctiontiger.net** से सम्पर्क करके ऑन लाईन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते है।
8. इच्छुक बोलीदाता द्वारा सम्पत्ति का निरीक्षण स्थल पर दिनांक 16.07.2018 और 17.07.2018 को प्रातः 10.30 बजे से सायं 04.00 बजे के बीच किया जा सकता है।
9. पे आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट या एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से धरोहर राशि जमा करने के पश्चात ही, वेलिड यूजर आई डी और पासवर्ड धारक बोलीकर्ता ही ई-नीलामी में भाग ले सकेंगें।
10. इच्छुक बोलीदाताओं जिन्होंने अपनी बोली (आरक्षित मूल्य से कम नही), **वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली के कार्यालय में दिनांक 18.07.2018 तक** सायं 04.00 बजे से पहले जमा कर दी है, वे ही **दिनांक 20.07.2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक** होने वाली ई-नीलामी में भाग ले सकते है। बोली यदि ई-नीलामी समाप्ति हेतु निर्धारित समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो उस दशा में ई-नीलामी बंद होने का समय 5 मिनट स्वतः बढ़ जायेगा।
11. **बोलीदाता अपनी बोली रु. 1,00,000/- (रुपए एक लाख मात्र) के गुणकों में बढ़ाएंगे।**
12. असफल बोलीदाता अपनी धरोहर राशि ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया बंद होने के तत्काल बाद सीधे वसूली अधिकारी-II, डी आर टी-II, दिल्ली / सी एच बैंक, अर्थात बैंक ऑफ बड़ौदा से प्राप्त कर सकते है।
13. सफलतम/उच्चतम बोलीदाता को बिक्री मूल्य का 25 प्रतिशत राशि **वसूली अधिकारी-II, डी आर टी-II,** दिल्ली, **खाता आर सी न. 220/2014 के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर के द्वारा ऑन लाईन निलामी बंद होने के** पश्चात **अगले कार्य दिवस को 21.07.2018 को सायं 4.00 बजे से पहले** धरोहर राशि को समायोजित करने के बाद वसूली अधिकारी-II, डी आर टी-II, दिल्ली के कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए, ऐसा ना करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाऐगी।
14. सफलतम / उच्चतम बोलीदाता सम्पत्ति बिक्री मूल्य का बकाया 75 प्रतिशत राशि **वसूली अधिकारी-II, डी आर टी-II, दिल्ली, खाता आर सी न. 220/2014 के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर के द्वारा** सम्पत्ति की बिक्री की तिथि (उस दिन को छोड़कर) से 15वें दिन या उससे पहले **वसूली अधिकारी-II, डी आर टी-II, दिल्ली** के समक्ष जमा करेगा और यदि 15वें दिन रविवार या अवकाश होता है तो अगले कार्य दिवस पर (15 दिन के पश्चात) ऐसा किया जाऐगा। एवं 2 प्रतिशत रु. 1000/- तक और उसके बाद शेष राशि पर 1 प्रतिशत की दर से पाउण्डेज फीस का भुगतान रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली के पक्ष में जमा करवाना होगा (75 प्रतिशत शेष जमा राशि के मामले में यदि पोस्ट के माध्यम से भेजा जाता है तो उपरोक्तानुसार में वसूली अधिकारी तक पहुँच जाना चाहिए)। उपरोक्त समयावधि में भुगतान ना करने पर, उक्त सम्पत्ति की पुनः बिक्री नई उदघोषणा जारी करके की जाएगी। उस स्थिति में चूककर्ता क्रेता के द्वारा जमा राशि को अधोहस्ताक्षरकर्ता यदि उचित समझता है तो विक्रय के खर्चे समायोजित किये जाने के पश्चात सरकारी खाते में जब्त कर ली जायेगी एवं उस स्थिति में चूककर्ता क्रेता के उक्त सम्पत्ति के सम्बंध में या राशि के किसी भाग के सम्बंध में प्राप्त समस्त अधिकार जब्त हो जायेंगे।
15. यदि कोई, बोली या सभी बोलियाँ अस्वीकार्य पाई जाती हैं तो वसूली अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए कभी भी, किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री प्रास्थगित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार हैं तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।

सम्पत्तियों की अनुसूची

बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण	सम्पति या उसके किसी भाग पर राजस्व जिसका मूल्यांकन किया गया है	किसी भी प्रकार के भार का विवरण जिसके लिए सम्पत्ति उत्तरदायी है	विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति के सम्बंध में आगे आया है एवं अन्य कोई ज्ञात विशिष्टियां जोकि इसके मूल्य एवं प्रकृति प्रभाव रखता है।
बंधक सम्पत्ति (भूमि एव भवन), प्लॉट क्षेत्रफल 1 बीघा 10 बिस्वा (10 बीघा 9 बिस्वा में से), खसरा नं. 28/5(4-0) & 28/6(6-09), गाँव समालखा के रेवेन्यू ईस्टेट में, तहसील महरौली, पुरानी दिल्ली — गुडगाँव रोड, नई दिल्ली में स्थित	ज्ञात नही	ज्ञात नही	ज्ञात नही

हस्ता/- (अविनाश चन्द्रा), वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली

In The Court of Ms. Twinkle Wadhwa, Ld. ADJ-03, Patiala House Court, New Delhi

NOTICE

Dated 18.05.2018

In the matter of Execution Petition No. 07/18:

Ambience Commercial Developers Pvt. Ltd.,
Through its Authorised person
Mr. Sumit Choudhary
L-4, Green Park Extension, New Delhi - 110016 ...Decree Holder

Versus

1. M/s. Jot Impex Pvt. Ltd.
1/204, GF, Sadar Bazar, Delhi Cantt., New Delhi-110010

2. Mr. Gurinder Singh Sahni (Director Jot Impex Pvt. Ltd.)
C-362, Sushant Lok, Phase-I, Gurugram-122001, Haryana ...Judgment Debtors

Whereas in the above noted Execution Petition, it has been proved to the satisfaction of the Hon'ble Court, that the above noted Judgment Debtors i.e. (1) M/s. Jot Impex Pvt. Ltd. office at 1/204, GF, Sadar Bazar, Delhi Cantt., New Delhi-110010 (2) Mr. Gurinder Singh Sahni R/o. C-362, Sushant Lok, Phase-I, Gurugram-122001, Haryana, cannot be served in the ordinary way of service. Hence notice through this publication is hereby issued for appearance of aforesaid Judgment Debtors in the above mentioned Execution Petition on 17.08.2018 at 10:00 AM either personally or through duly authorised person/counsel, failing which ex-parte proceedings shall be taken in accordance with law.

Given under my hand and seal of this Hon'ble Court on 18.05.2018.

Sd/-
Ms. Twinkle Wadhwa,
The Ld. ADJ-03, Patiala House Court, New Delhi

Bank of India
Relationship beyond banking

आसफ अली रोड शाखा,
4/8, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002, टेली.: 011-28833125, 28833126, 23275077, 23271714, ईमेल: AsafaliRoad.NewDelhi@bankofindia.co.in
प्रधान कार्यालय: स्टार हाउस, सी-5, जी,ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लैक्स, बान्द्रा (ई), मुम्बई-400051

संदर्भ सं. AAR:ADV:GV तिथि:13.6.2018

परिशिष्ट IV (नियम 8 (1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 15.01.2018 जारी कर ऋणधारकों/ गारंटरों 1. श्री गौतम लाल बंसल (निदेशक एवं गारन्टर), 2. श्री अमन बंसल (निदेशक एवं गारन्टर), 3. श्री अमित बंसल (निदेशक एवं गारन्टर, 4. श्रीमती कविता रानी बंसल (निदेशक एवं गारन्टर) मै. कविता एक्स्पोर्ट्स (पी.) लि. को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 1,83,34,327.53 (एक करोड़ तिरासी लाख चौंतीस हजार तीन सौ सत्ताईस एवं पैसे तिरेपन मात्र) (सूचना की तिथि तक अनुबंधित बकाया) तथा मासिक रेस्ट्स के साथ मिश्रित 6.1.2018 तक रु. 46,41,489.00 (रुपये छियालिस लाख इकतालिस हजार चार सौ नवासी मात्र) के साथ उस पर आगे के ब्याज, लागत खर्चे एवं अन्य अनुषांगिक चार्जेज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/ निदेशक/ गारन्टर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/ निदेशक/ गारन्टर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 13 जून, 2018 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 1,83,34,327.53 (एक करोड़ तिरासी लाख चौंतीस हजार तीन सौ सत्ताईस एवं पैसे तिरेपन मात्र) (सूचना की तिथि तक अनुबंधित बकाया) तथा मासिक रेस्ट्स के साथ मिश्रित 6.1.2018 तक रु. 46,41,489.00 (रुपये छियालिस लाख इकतालिस हजार चार सौ नवासी मात्र) के साथ उस पर आगे के ब्याज, लागत खर्चे एवं अन्य अनुषांगिक चार्जेज आदि के लिये बैंक ऑफ इंडिया के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल संपत्ति का विवरण

1. स्टॉक्स एवं बुक डेब्ट्स का हाइपोथेकेशन
2. श्री गौतम लाल बंसल, श्री अमन बंसल एवं श्री अमित बंसल के नाम में 199, राम विहार, नई दिल्ली से शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्से का इक्विटेबल मार्टगैज। **चौहद्दी:** उत्तर: सर्विस लेन, दक्षिण: 80' चौड़ी सड़क, पूर्व: प्लॉट नं. 200, राम विहार, पश्चिम: सर्विस लेन

तिथि: 13.6.2018 — **हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी,**
स्थान: नई दिल्ली — **बैंक ऑफ इंडिया**

फार्म ए
सार्वजनिक घोषणा

(इन्सोलवैन्सी एवं दिवालियापन बोर्ड ऑफ इण्डिया (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए इन्सोलवैन्सी संकल्प प्रक्रिया) नियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत)

जी० एस० एक्सप्रैस प्राईवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

प्रासांगिक विवरण		
1	कारपोरेट देनदार का नाम	**जी० एस० एक्सप्रैस प्राईवेट लिमिटेड**
2	कारपोरेट देनदार की निगमन की तिथि	31/03/2006
3	कारपोरेट देनदार जिसके अंतर्गत निगमित/ पंजीकृत	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज-कानपुर
4	कारपोरेट पहचान संख्या/ कारपोरेट देनदार की सीमित देयता पहचान संख्या	U45201UP2006PTC031573
5	कारपोरेट देनदार का पंजीकृत कार्यालय का पता एवं प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो)	सी-879, रहीम नगर, महानगर, लखनऊ, उ० प्र०
6	कारपोरेट देनदार की इन्सोलवैन्सी प्रारम्भ तिथि	आदेश दिनांक 13 जून, 2018 14 जून, 2018 को प्राप्त
7	इन्सोलवैन्सी संकल्प प्रक्रिया बंद होने की अनुमानित तिथि	10 दिसम्बर, 2018
8	अंतरिम संकल्प पेशेवर का नाम एवं पंजीकरण संख्या	मनीष अग्रवाल
9	बोर्ड में पंजीकृत अंतरिम संकल्प पेशेवर का पता एवं ई-मेल	आईबीबीआई/-002/आईपी-एन00223/ 2017-18/ 10904,78, आर्य नगर, सूरज कुंड रोड, मेरठ-250002 ई-मेल: manishfcs@gmail.com
10	अंतरिम संकल्प पेशेवर के साथ पत्र व्यवहार के लिए पता एवं ई-मेल, यदि क्र. संख्या 9 में दिये से अलग हो	C/o अग्रवाल मनीष एण्ड एसोसियेटस 707, प्रथम मंजिल, रोहताश स्वीट्स के सामने, मनोरंजन पार्क, साकेत रोड, मेरठ-250001 ई-मेल: irp.gsexpress@gmail.com
11	दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	28 जून, 2018

एतद्द्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि नेशनल कम्पनी लॉ अधिकरण ने **जी० एस० एक्सप्रैस प्राईवेट लिमिटेड** के खिलाफ एक कारपोरेट इन्सोलवैन्सी संकल्प प्रक्रिया का आदेश 13 जून, 2018 को दिया है।

एतद्द्वारा **जी० एस० एक्सप्रैस प्राईवेट लिमिटेड** के लेनदार अपने दावों के प्रमाण अंतरिम संकल्प पेशेवर के पास मद क्र. संख्या 10 में दिये गये पते पर 28 जून, 2018 को या उससे पहले प्रस्तुत करें।

दावों के प्रमाण की इन्सोलवैन्सी एवं दिवालियापन बोर्ड ऑफ इण्डिया (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए इन्सोलवैन्सी संकल्प प्रक्रिया) नियमन, 2016 के भाग IV के निम्न निर्धारित प्रपत्र के अनुसार प्रस्तुत होनी है:

1. फार्म बी- परिचालन लेनदार (कामगार/कर्मचारी के अलावा)
2. फार्म सी- वित्तीय लेनदार
3. फार्म डी- परिचालन लेनदार-कामगार/कर्मचारी
4. फार्म ई- परिचालन लेनदार-कामगार/कर्मचारी के प्रतिनिधि
5. फार्म एफ- अन्य लेनदार

प्रपत्र www.ibbi.gov.in से डाऊनलोड किये जा सकते है। वित्तीय लेनदार अपने दावों के प्रमाण इलेक्ट्रानिक तरीके से प्रस्तुत करेंगे। परिचालन लेनदार, कामगार एवं कर्मचारियों को मिलाकर व्यक्तिगत रूप में, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रानिक तरीके से दावों को प्रस्तुत करेंगे। दावों के गलत अथवा भ्रामक प्रमाण दंडनीय होंगे।

कारपोरेट देनदार के मौजूदा निदेशकों एवं प्रबन्धकों से अनुरोध है कि इन्सोलवैन्सी एवं दिवालियापन कोड, 2016 की धारा 17 के प्रावधानों के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करें।

कारपोरेट देनदार के खातों को बनाने वाले मौजूदासमस्त बैंकर्स/वित्तीय संस्थानों से अनुरोध है कि कोड की धारा 17 (1) (डी) के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करें।

अंतरिम संकल्प पेशेवर का नाम एवं पता
हस्ता०/-
तिथि : 15/06/2018
स्थान: मेरठ
मनीष अग्रवाल

मोहिन्द्रा फास्टनर्स लिमिटेड
CIN: L74899DL1995PLC064215
पंजी. कार्यालय: 304, गुप्ता आर्केड, इन्दर एन्क्लेव, दिल्ली-रोहतक रोड, दिल्ली-110087
ई-मेल: cs@mohindra.asia, वेबसाईट: www.mohindra.asia
फोन: + 91-11-46200400, 46200401, फैक्स नं.: +91-11-25282667

MFL
Fostening Redefined

शेयरधारकों के लिये सूचना
निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष में इक्विटी शेयरों का अंतरण

यह सूचना कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट, अंतरण तथा रिफंड) नियमावली, 2016 (आईईपीएफ नियमावली) तथा समय-समय पर परवर्ती संशोधनों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 तथा 125 के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित की जा रही है।

आईईपीएफ नियमावली में अन्य बातों के अलावे केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष ("कोष") में ऐसे शेयरों के अंतरण का प्रावधान है जिसके लिये लगातार सात वर्षों से शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है अथवा वह दावा-रहित रहा है। नियम 6(1) के अनुसार इस कोष में ऐसे शेयरों के अंतरित होने के लिये नियत तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर अंडरलाईंग शेयरों को इस उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा खोली गई प्राधिकरण की डीमैट खाता में क्रेडिट किया जायेगा।

यह कम्पनी 15.10.2018 को या उसके बाद वित्त वर्ष 2010-11 के लिये उसकी अप्रदत्त अंतिम लाभांश राशि को आईईपीएफ में अंतरित करेगी। तदनुसार, अंडरलाइंग शेयर्स इस कोष में अंतरित होने के लिये नियत हैं तथा कम्पनी ने उन शेयरधारकों को व्यक्तिगत सूचना पत्र भेज दिया है जिनके अंडरलाइंग लाभांश एवं शेयरों अर्थात् वित्त वर्ष 2010-11 की अंतिम लाभांश राशि को आईईपीएफ की सस्पेंस खाता में अंतरित किया जाना है जिसमें उन्हें यह सूचना दी गई है कि उक्त दावा-रहित राशि तथा अंडरलाइंग शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण की डीमैट खाता में अंतरित किया जायेगा।

अतएव, शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी निम्न रूप में नियत प्रक्रिया का अनुसरण कर शेयरधारकों को आगे कोई सूचना दिये बिना 15.10.2018 को या उसके बाद अंडरलाइंग शेयरों को इस कोष में अंतरित करने के लिये कार्रवाही शुरू करेगी:

1) डीमैट पद्धति में धारित शेयरों के मामले में -संबंधित शेयरधारकों के डीपी'ज के माध्यम से कोष की डीमैट खाता में प्रत्यक्ष रूप से शेयरों के अंतरण द्वारा

2) भौतिक पद्धति में धारित शेयरों के मामले में-मूल शेयर प्रमाणपत्र (त्रों) के बदले में नये डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी कर तथा उसके बाद डिपॉजिटरी के माध्यम से डीमैट में रूपांतरित कर उसे इस कोष में अंतरण करना। शेयरधारकों के नामों में पंजीकृत तथा उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्र (त्रों) स्वतः निरस्त हो जाएंगे।

इन दावा-रहित लाभांश की मांग करने तथा आइईपीएफ में अंतरित होने से शेयरों को रोकने के लिये शेयरधारक कृपया उनके अभिलेखों की जाँच-पड़ताल कर लें तथा पंजीकृत कार्यालय: 304, गुप्ता आर्केड, इन्दर एन्क्लेव, दिल्ली-रोहतक रोड, दिल्ली-110087, ई-मेल आईडी: **cs@mohindra.asia** पर कम्पनी से अथवा उसके रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेन्ट (आरटीए): मै. स्काइलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड से डी-153/ए, 1ला तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020, भारत, ई-मेल आईडी: **info@skylinerta.com,** फोन: +9111-40450193 से 97 तक से 14 अक्टूबर, 2018 को या उससे पूर्व सम्पर्क करें।

कृपया ध्यान रहे कि उक्त आईईपीएफ नियमावली के अनुसार आईईपीएफ में अंतरित शेयरों तथा लाभांश के संदर्भ में कम्पनी के प्रति कोई दावा नहीं की जा सकती है।

शेयरधारक कृपया ध्यान रखें कि उनके नाम, फोलिओ नम्बर, डीपी आईडी-क्लाइन्ट आईडी तथा आईईपीएफ (कोष) में अंतरित किये जाने के लिये नियत शेयरों की संख्या तथा अन्य विवरणों से शामिल ऐसे शेयरधारकों को अद्यतन की गई सूची कम्पनी की वेबसाईट **www.mohindra.com** पर अपलोड कर दी गई है।

यह ध्यान रहे कि ऐसे शेयरों पर उपचयित होने वाले सभी लाभों, यदि कोई हो, सहित इस कोष में अंतरित शेयरों को वापस प्राप्त करने के लिये उक्त आईईपीएफ नियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण कर आईईपीएफ प्राधिकरण से उसका दावा किया जा सकता है।

मोहिन्द्रा फास्टनर्स लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
स्थान: दिल्ली — **निधि पाठक**
तिथि: 15 जून, 2018 — **कम्पनी सचिव**

कार्यालय वसूली अधिकारी-I
ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली - 110 001

आर. सी. सं. 64/2014 — **बिक्री उद्घोषणा नोटिस** — **दिनांकित : 02.06.2018**

बिक्री की उदघोषणा आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अन्तर्गत को बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम 1993 की ऋण वसूली के साथ पढा जाये।

भारतीय स्टेट बैंक बनाम स्यालकोटी ज्वैल्स एक्सपोर्ट प्रा. लि.

सेवा में,
सीडी नं. 1 मैसर्स स्यालकोटी ज्वैल्स एक्सपोर्ट प्रा. लि., 2228-29, प्रथम तल, हरध्यान सिंह रोड, नई दिल्ली -110005
सीडी नं. 2 श्री के एल जैन, पुत्र श्री झांगी लाल जैन, (मृतक के बाद से), इसके कानूनी वारिस : (ए) श्रीमती कमलेश जैन पत्नी स्व. श्री के. एल. जैन, (बी) श्री संदीप जैन पुत्र स्व. श्री के एल एल जैन, (सी), श्री राजीव जैन पुत्र स्व. श्री के एल एल जैन, सीडी नं .3 श्री संदीप जैन, पुत्र श्री के एल एल जैन, सीडी नं. 4 श्री राजीव जैन, पुत्र श्री के.आई. जैन, सीडी नं. 5 श्रीमती अनविता जैन, पत्नी श्री संदीप जैन, सीडी नं. 6 श्रीमती यशा जैन, पत्नी श्री राजीव जैन, सीडी 2 से 6 सभी गारंटर, पहले डब्ल्यू -124, ग्रेटर कैलाश, पार्ट-II, नई दिल्ली के निवासी और : एच-9, द्वितीय तल, एन डी एस. ई, पार्ट -1, नई दिल्ली, सीडी नं 7 ज्वैल्स इम्पोर्ट्स 6, ब्रैंडन रोड, नॉरवुड ग्रीन, यूनाइटेड किंगडम, सीडी नं. 8 मैसर्स कैरेट 22 ज्वैलर्स, अमृत (75) एनआईसी, 5623, हिलक्रोट, हाउटन, टेक्सास -77036 (यूएसए), सीडी नं. 9 मैसर्स एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 8 वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, कस्तूरबा गांधी रोड, नई दिल्ली -110001

जैसा कि आप पीठासीन अधिकारी, **ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली टी.ए सं 301/02 डीआरटी-III दिल्ली में आपके द्वारा देय रू. 2,96,11,524/- (रु. दो करोड छियान्वे लाख ग्याहर हजार पाँच सौ चौबीस मात्र) दिनांक 13.11.1997 से प्रभावी 14 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज एवं लागतो का प्रमाण-पत्र के अनुसार भुगतान करने में असफल रहे।** और जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने इस प्रमाणपत्र की संतुष्टी हेतु निम्नानुसार अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कोई स्थगन के किसी आदेश के अभाव में उक्त सम्पत्ति को सार्वजनिक नीलामी द्वारा 27.07.2018 को अर्पा. 03.00 बजे से अर्पा. 04.00 बजे के बीच (स्वतः विस्तार खण्ड के साथ यदि बंद होने से पहले अंतिम 5 मिनट में बोली अपेक्षित होती है) ई-नीलामी तथा बोली प्रक्रिया होगी जो ऑनलाईन इलैक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के द्वारा वेबसाइट **http://www.drt.auctiontiger.net** पर **मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज प्रा. लि., ए-201/208, वॉल स्ट्रीट - II, ओरियंट क्लब के सामने, गुजरात कॉलेज के पास, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006, गुजरात इण्डिया, फोन नं. +91-079-40230808-816/817/818/821/824/831/832, फैक्स नं. +91-079-40016876, वेबसाइट:** https://www.drt.auctiontiger.net के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेची जाएगी। ई-मेल : support@auctiontiger.net, delhi@auctiontiger.net. किसी पूछताछ के लिए **श्री कुशल कोठारी, मोबाइल नंबर 08980690773, ई-मेल : kushal@auctiontiger.net, श्री रिकिन, मो. 09978591888, ई-मेल : rikin@auctiontiger.net से सम्पर्क करें।**

अन्य विवरण हेतु **श्री अभय कुमार, सी एच बैंक के उप प्रबंधक, मो. 9491793384, भारतीय स्टेट बैंक, आस्ति वसूली रिकवरी शाखा, नई दिल्ली, 23, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110015 से सम्पर्क करें।**

उपरोक्त नाम के प्रतिवादी की सम्पत्ति की बिक्री उपरोक्तानुसार सम्पत्ति के लिए संलग्न देनदारियों एवं दावें को जैसा अभी तक निंधारित किया गया है, वे प्रत्येक लॉट के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

बिक्री से संबंधित कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति निविदा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से सम्पत्ति की बिक्री के लिए बोली, अधिग्रहण अथवा प्रयास नही करेगा। आयकर अधिनियम 1961 के द्वितीय अनुसूची के शर्तों एवं उसके नियमों के तहत तथा निम्न शर्तों के अनुरुप ही बिक्री की जाएगी।

बिक्री उदघोषणा की अनुसूची में उल्लेखित विवरण को अधोहस्ताक्षरी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दर्शाया गया है, परन्तु अधोहस्ताक्षरी किसी त्रुटि, गलत बयान बाजी अथवा उदघोषणा में चूक होने पर जिम्मेदारी नहीं होगी।

1. सम्पत्ति का विवरण, आरक्षित मूल्य, धरोहर राशि निम्नानुसार है।

क्र.सं.	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि(ईएमडी)
1.	सम्पत्ति नं. एच-9, द्वितीय तल, एन.डी.एस.ई., पार्ट -1, नई दिल्ली, क्षेत्रफल 1781 वर्ग फीट (लगभग)	रु. 1,98,00,000/- (रु. एक करोड अट्ठान्वे लाख मात्र) धरोहर राशि : 19,80,000/- (रु. उन्नीस लाख अस्सी हजार मात्र)

सम्पत्ति धरोहर राशि से कम पर नहीं बेची जाएगी।

2. बोली, **कम से कम रू. 1,00,000/- (रु. एक लाख मात्र) बढ़ाई जा सकेगी।** बोली अथवा बोलीदाता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में लॉट की नीलामी दोबारा की जाएगी। यदि उपलब्ध कोई भी बोलीदाता अपनी बोली नहीं बढ़ाता है, तब सर्वप्रथम प्राप्त ईएमडी अधोहस्ताक्षरी द्वारा आगे विचार हेतु रोक कर रखी जा सकती है।
3. किसी लॉट के उच्चतम बोलीदाता को क्रेता घोषित किया जाएगा। उच्चतम बोली को अस्वीकार करना अधोहस्ताक्षरी का विवेकाधिकार होगा, यदि पेश की गई ऑफर उसको स्वीकार किए जाने हेतु स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत होती है।
4. इच्छुक बोलीदाताओं को धरोहर राशि **पे आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट के रुप में जो कि "Recovery Officer-I, DRT-III, Delhi के पक्ष में दिल्ली** में देययोग्य हो को **वसूली अधिकारी - I, डीआरटी- III, दिल्ली को दिनांक 25.07.2018 तक देनी होगी।** धरोहर राशि इसके पश्चात नीलामी के लिए स्वीकार नही की जायेगी।
5. पैन कार्ड की प्रति, पते का प्रमाण तथा पहचान प्रमाण, ई-मेल आई डी, मोबाईल नम्बर और इस आशय की उदघोषणा कि ये स्वयं की ओर से या अपने स्वामी की ओर से बोली लगा रहे है, जमा करनी होगी। स्वामी की ओर से बोली लगाने वाले मामलो में बोली लगाने वाले को अपना प्राधिकार पत्र जमा करना होगा वरना बोली अस्वीकार कर दी जाएगी। कम्पनी के मामले में कम्पनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की कम्पनी प्रति या कम्पनी के अटार्नी/प्रतिनिधित्व को पुष्ट करने वाले अन्य कोई आलेख्य तथा ऐसी जमा रशिद/काउन्टर फाईल कथित तिथि तक ई-मेल या अन्यथा द्वारा कथित सेवा प्रदाता या सी एच बैंक तक पहुंच जानी चाहिए और इसकी हार्ड कॉपी (स्थूलप्रति) वसूली अधिकारी- I, डीआरटी- III, दिल्ली के कार्यालय में जमा कराना होगा।
6. सफल बोलीदाता को अपनी अंतिम बोली का 25 प्रतिशत राशि, ईएमडी समायोजन के बाद, अगले बैंक कार्य दिवस को अर्थात अप. 03.00 बजे तक ऊपर में निर्धारित विधि मे जमा करनी होगी।
7. क्रेता को अंतिम बोली की **75 प्रतिशत राशि सम्पत्ति की बिक्री की तिथि से 15 वें दिन को अथवा पूर्व जमा करनी होगी। यदि 15वां दिन रविवार या अवकाश है, तब 15वें दिन** के बाद पहले बैंक कार्य दिवस को ऊपर पैरा 4 में निर्धारित विधि में जमा करनी होगी। इसके अतिरिक्त **क्रेता को रू. 1,000/- तक बिक्री मूल्य के 2 प्रतिशत की दर पर तथा रू. 1,000/- से अधिक पर बिक्री मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर पाउण्डेज फीस रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा वसूली अधिकारी- I, डीआरटी-III, दिल्ली के पास जमा करना होगा।**
8. इच्छुक बोलीदाताओं हेतु **सम्पत्ति का निरीक्षण दिनांक 21.07.2018 को पूर्वा. 11.00 बजे से अर्पा. 04.00 बजे के बीच किया जा सकता है।**
9. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक की स्थिति में, सम्पत्ति की बिक्री नए सिरे से की जाएगी। ऐसी बिक्री से पहले उसकी नई उदघोषणा जारी की जाएगी। बोलीदाता द्वारा पहले जमा की गई राशि, यदि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपयुक्त समझा जाता है, बिक्री के व्यय काटने के बाद, सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी और चूककर्ता क्रेता के, सम्पत्ति अथवा उसके किसी अंश अथवा सम्पत्ति की पुनरबिक्री से प्राप्त होने वाली राशि के किसी अंश के संबंध में, सभी दावे जब्त हो जाएगें।
10. सम्पत्ति की बिक्री **"जैसा है जहां है तथा जो है जैसा है आधार"** पर की जा रही है।
11. अधोहस्ताक्षरी के पास, किसी भी या सभी बोलियों को, अनुपयुक्त पाए जाने पर, स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, नीलामी प्रास्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।
12. सम्पत्ति के किसी भी भाग पर राजस्व / भार या विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति के समबंध में है, इस स्तर पर अधोहस्ताक्षरी के ज्ञान में नही है। हालांकि, भावी बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि ईएमडी जमा करने से पहले, अपने स्वयं के हित में, बिजली / पानी / हाउस टैक्स या किसी अन्य भार इत्यादि हेतु के बकाया राशि की स्वंय जाँच कर लें।

(अनिल कुमार यादव)
मेरे हस्ताक्षर तथा मोहर के साथ आज दिनांक 02 जून, 2018 को दिया गया। — **वसूली अधिकारी- I, ऋणवसूली अधिकरण- III, दिल्ली**